



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का प्रतिवेदन



प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढ़ी हुई धातु और उसकी वस्तुएँ, नकली गहने, सिक्कों (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

संघ सरकार
राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क
2016 की संख्या 6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का प्रतिवेदन

मार्च 2015 में समाप्त वर्ष के लिये

प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढ़ी हुई धातु और उसकी वस्तुएँ, नकली गहने, सिक्कों (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

**संघ सरकार
राजस्व विभाग -अप्रत्यक्षा कर -सीमा शुल्क
2016 की संख्या 6**

लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत _____

विषय - सूची

सूची	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
संक्षेपण	iii
कार्यकारी सार	vi
अध्याय 1: प्रस्तावना	1
1.1 पृष्ठभूमि	1
1.2 प्रशासनिक संरचना	2
1.3 हमने यह विषय क्यों चुना?	3
1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.5 लेखापरीक्षा नमूना	4
1.6 लेखापरीक्षा मानदंड	5
अध्याय 2: प्रणालीगत विषय	7
2.1 अध्याय 71 के माल के अंतर्गत आयात/निर्यात की प्रवृत्ति और संयोजन	8
2.2 आयातित और निर्यातित माल के डाटाबेस का विश्लेषण	13
2.3 20:80 योजना	15
2.4 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफईई)	31
2.5 सीमाशुल्क की इडीआई प्रणाली	33
2.6 अपर्याप्त व्यापार सरलीकरण	39
2.7 सेज में गतिविधियां	45
2.8 मानदण्ड तथा सक्षम करने वाली शर्तों का अभाव	53
अध्याय 3: अनुपालन विषय	67
3.1 गलत निर्धारण के मामले	67
3.2 छूटों की अनियमित मंजूरी के मामले	77
3.3 अधिनियम, नियम, निर्देशों एवं संचालन शर्तों का उल्लंघन	87
3.4 प्रचालनात्मक विनिर्माण के मामले	95
3.5 विविध अनियमिततायें	108
अध्याय 4: समन्वय, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी	109
4.1 सीमाशुल्क द्वारा नामित एजेंसियों की लेखापरीक्षा	109
4.2 डीओसी, डीओआर एवं डीजीएफटी के बीच समन्वय का अभाव	109
4.3 अनुचित निगरानी के मामले	115
4.4 आंतरिक नियंत्रण का अभाव	124
5 निष्कर्ष	128
परिशिष्ट	131